प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रक्रिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..**चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर**....(थाना) ...**प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) ....486/22........ .... (दिनांक) ....24/12/2022........
2 I (अधिनियम).....**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** ....(धाराए)...........**7**..........
II (अधिनियम).. (धाराए)..
III (अधिनियम) .... (धाराए)..
IV (अन्य अधिनियम एवं धाराए) ....
3. (क) (दिन).........शुक्रवार.....(दिनांक से).........**23.12.2022**......(दिनांक तक)................................
(ख) (पहर) ....(बजे से)................................ (बजे तक) ....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)....................(दिनांक) ....(समय) ....
(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) ....472........(समय) .....10.10 PM
4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक).......................**लिखित रिपोर्ट** ....
5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....**बजानिव दिशा उत्तर, दूरी करीब 75 कि.मी....**
(ख) (पता)................. **पुलिस थाना, कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर** ....
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....
(थाने का नाम) ....**(जिला)** ....
6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) ....**श्री नरसिम्हा**..
(ख) (पिता/पति का नाम)..... **श्री बजरंगा** ....
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष)...........**30 वर्ष**.........(घ) (राष्ट्रीयता)................**भारतीय**.......................
(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....
(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....
(च) (व्यवसाय) ....
(छ) (पता)..**ग्राम सोंप, पुलिस थाना नादौति, जिला करौली।**
7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
1. श्री कूलराम पुत्र श्री कल्लाराम जाति मीना उम्र 42 वर्ष निवासी माणोली, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. नम्बर 10 पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।
8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....
9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें
मांगी गई रिश्वती राशि 2,000/–रुपये।
10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)
12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें, सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर विषयः–रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 06.12.2022 को बाजार के कार्य से गंगापुर सिटी मेरी मोटर साईकिल हिरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस नं. RJ 34 SN 9203 से आया हुआ था, उस दिन मेरी मोटर साईकिल गंगापुर सिटी से चोरी हो गई थी, जिस पर मैनें उसी दिन पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी पर प्रकरण संख्या 598/2022 दर्ज करवाया था जिसकी जॉच कालूराम मीना हैड साहब कर रहे है। कल दिनांक 21.12.2022 को मेरे से कालूराम हैड साहब ने फोन कर कहा कि तेरे मुकदमें की जॉच तब ही करूंगा जब तु मुझे दो हजार रूपये देंगा और तेरी

मोटर साईकिल को भी तभी दिखाउंगा जब तु रूपये देंगा। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को रिश्वत नही देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी कालूराम हैड साहस से कोई दुशमनी या पुरानी रंजिश नही है, और ना ही कोई पुराना लेन–देन है। दिनांक 22.12.2022 प्रार्थी एसडी नरसिम्हा, नरसिम्हा पुत्र श्री बजरंगा मीना जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी सोप पुलिस थाना नादोती जिला करौली।

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 22.12.2022 समय–05:15 पी.एम. भ्र.नि.ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी नरसिम्हा पुत्र श्री बजरंगा मीना जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी सोप पुलिस थाना नादोती जिला करौली ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड मय पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में दर्ज प्रकरण संख्या 598/2022 की स्वंय प्रमाणित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के मन् अति0 पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को इस आशय की पेश की कि प्रार्थी ग्राम सोंप पुलिस थाना नादौति जिला करौली का रहने वाला है। प्रार्थी दिनांक 06.12.2022 को बाजार के कार्य से गंगापुर सिटी मेरी मोटर साईकिल हिरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस नं. RJ 34 SN 9203 से आया हुआ था, उस दिन मेरी मोटर साईकिल गंगापुर सिटी से चोरी हो गई थी, जिस पर मैनें उसी दिन पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी पर प्रकरण संख्या 598/2022 दर्ज करवाया था जिसकी जॉच कालूराम मीना हैड साहब कर रहे है। कल दिनांक 21.12.2022 को मेरे से कालूराम हैड साहब ने फोन कर कहा कि तेरे मुकदमें की जॉच तब ही करूंगा जब तु मुझे दो हजार रूपये देंगा और तेरी मोटर साईकिल को भी तभी दिखाउंगा जब तु रूपये देंगा। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को रिश्वत नही देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी कालूराम हैड साहस से कोई दुशमनी या पुरानी रंजिश नही है, और ना ही कोई पुराना लेन–देन है। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री नरसिम्हा से पूछताछ की गई तो परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित होनी व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात समय 05:45 पी.एम. पर परिवादी श्री नरसिम्हा ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी समय भी ज्यादा हो गया है और गंगापुर की दूरी भी काफी ज्यादा होने के कारण समय बहुत लग जायेगा। मैं कल सुबह मेरे मुकदमें के सम्बन्ध में हैड साहब कालूराम जी से बातचीत कर लूंगा एवं परिवादी ने बताया कि साहब सवाई माधोपुर में मेरा कोई जानकार नही है और नाही रूकने की व्यवस्था है। इस पर परिवादी को कार्यालय में ही रोका गया। इसके पश्चात दिनांक 23.12.2022 समय 08:15 ए.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को जरिये राजवीर सिंह कानि. 149 से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री नरसिम्हा को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वॉइस रिकॉर्डर को श्री राजवीर सिंह कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08:40 ए.एम. पर परिवादी श्री नरसिम्हा एवं श्री राजवीर सिंह कानि. को बाद हिदायत आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के लिए बाद हिदायत समझाईश के रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 11:30 ए.एम. पर श्री राजवीर सिंह कानि. ने जरिये दूरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया की मैं व परिवादी नरसिम्हा कार्यालय से रवाना होकर गंगापुर सिटी पहुंचे। जहां मैने एकान्त में परिवादी को वाईस रिकार्डर सिपुर्द कर परिवादी को पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी रवाना कर दिया। इसके पश्चात थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास आया जिससे मैने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां पर मुझे कालूराम जी हैड साहब मिले जिनसे मैने मेरे मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत की तो हैड साहब ने मुझे हाथ

की दो अंगुलियो का ईशारा कर दो हजार रूपये मांगे। उनके ईशारे पर मैने कहा दो हजार रूपये कहकर कुछ कम करने की कही जिस पर हैड साहब ने बोला तु फटाफट जा लिया। इस पर मैने हैड साहब से कहा की मै मंडी में माल लेकर आया हूँ। मेरे को दो–ढाई घंटे का समय लग जायेगा और मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आ गया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी नरसिम्हा से रिश्वती राशि के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मेरे पास रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,000/– रूपये रखे है, इस पर राजवीर सिंह कानि. व परिवादी को विश्राम गृह गंगापुर सिटी पर उपस्थित मिलने की मुनासिफ हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 12:05 पी.एम. पर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर सहायक निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाईमाधोपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री रामकेश कानि. नं. 98 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करवाकर हमराह साथ लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 12:20 पी.एम. पर रामकेश कानि. नं. 98 कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अपने साथ दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर आया जिनसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना पता क्रमशः श्री रंगलाल मीना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना, जाति मीना, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम खेड़ा मुण्डियावास, पोस्ट भांगडोली, तहसील थानागाजी, जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर एवं श्री रामसहाय छिनवाल पुत्र स्व0 श्री प्रतापचन्द, जाति खटीक, उम्र 59 वर्ष, निवासी शेरपुर–खिलचीपुर, तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर होना बताया। जिन्हे अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। तत्पश्चात समय 12:25 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा में कानि0 राजवीर सिंह व परिवादी से हुई दूरभाष वार्तानुसार आरोपी द्वारा रिश्वत राशि आज ही लेने पर सहमत हुआ है। समय अभाव के कारण कानि0 राजवीर सिंह व परिवादी नरसिम्हा को गंगापुर सिटी रूकने की हिदायत की जा चुकी है। अतः फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा को श्री रमेश कुमार कानि0 द्वारा मालखाने से निकलवाकर सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखवाया गया एवं रमेश कुमार कानि0 के दोनो हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात समय 12:30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री भोलाराम कानि., श्री रमेश कुमार कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री रंगलाल मीना कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बाक्स लैपटॉप/प्रिन्टर, वाईस रिकार्डर आदि उपकरण के मय प्राईवेट वाहन के एवं श्री जुगलाल कानि., हम्मीर सिंह कानि., रामकेश कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय छिनवाल कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक संजय कुमार कानि के ब्यूरो कार्यालय से गंगापुर सिटी के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 01:50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के विश्राम गृह गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा श्री राजवीर सिंह कानि0 व परिवादी श्री नरसिम्हा उपस्थित मिले, जिन्हे हमराह लिया एवं विश्राम गृह के कामिर्क से कमरा नम्बर 05 खुलवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान का मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरसिम्हा से आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी तथां परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष राजवीर सिंह कानि0 से वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त कर लेपटॉप से अटैच करवा कर टेबल स्पीकर अटैच करवा कर समय अभाव के कारण रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंशो को सुना तो परिवादी श्री नरसिम्हा से आरोपी कालूराम हैड कानि0 पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर ने परिवादी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में अग्रिम कार्यवाही करने की एवज में 2,000/– रू. रिश्वत दिनांक 23.12.2022 को ही लेने पर सहमत होना रिश्वत मांग की वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई, वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप में सेव करवाया गया, जिसकी पृथक से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं डब डी.वी.डी. पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात समय–02:15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरसिम्हा से मांगने पर आरोपी कालूराम हैड कानि0 को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रूपये के कुल 04 नोट अर्थात कुल 2,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 500 रूपये का	4 BU 758490
2.	एक नोट 500 रूपये का	9 HU 618429
3.	एक नोट 500 रूपये का	0 VV 313418
4.	एक नोट 500 रूपये का	0 GN 774419

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात श्री रमेश कुमार कानि. से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखे फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगवाया जाकर रमेश कुमार कानि. से एक अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 2,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री नरसिम्हा की जामा तलाशी गवाह श्री रामसहाय छिनवाल से लिवाई गई तो उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री रमेश कुमार कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 2,000/–रूपयो को परिवादी श्री नरसिम्हा की पहने हुयी काले रंग की जैकिट के उपर की सामने की बांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशी निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने कंधे पर रखी साफी को कंधे से उतारकर अपने हाथ में लेने या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री रंगलाल मीना से विश्राम गृह के कमरा नम्बर 05 में रखे एक कांच के गिलास को धुलवाकर गिलास में पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से गवाह श्री रंगलाल मीना से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गवाह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रमेश कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे के ढक्कन को बंद करवाकर श्री रमेश कुमार कानि. से वापिस सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिव्बे को ट्रेप बॉक्स में गवाह रंगलाल मीना के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री रमेश कुमार कानि. से गिलास के धोवन को उक्त कमरे के बाथरूम में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री रमेश कुमार कानि. व दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को उक्त कमरे में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी को छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद परिवादी श्री नरसिम्हा को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॅार्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॅार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे को सरकारी बोलेरो वाहन के डेस्क बोर्ड में श्री रमेश कुमार कानि0 द्वारा सुरक्षित रखवायी गयी। तत्पश्चात समय 02.50 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी नरसिम्हा को पैदल–पैदल पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के लिये रवाना कर उसके पीछे–पीछे श्री राजवीर सिंह कानि, रामकेश कानि., को रवाना कर उनके पीछे–पीछे हम्मीर सिंह कानि. व

दोनो स्वतंत्र श्री रामसहाय छिनवाल, रंगलाल मीना को रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जुगलाल कानि., भोलाराम कानि. रमेश कुमार कानि. मय प्राईवेट वाहन के रवाना होकर एवं सरकारी बोलेरो मय संजय कुमार चालक को पीछे–पीछे आने की हिदायत कर विश्राम गृह गंगापुर सिटी से पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के लिये वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होता हूँ एवं रमेश कुमार कानि. को सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर के आस पास रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 03.00 पी.एम. पर समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के आस–पास पहुंचा हूँ। तत्पश्चात समय 03:05 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी नरसिम्हा ने पुलिस थाना कोतवाली के मैन गेट के बाहर आकर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा किया, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान को अवगत करा हमराह साथ लेकर पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी के द्वितीय फ्लोर पहुंचा तो परिवादी श्री नरसिम्हा से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। पूछने पर परिवादी ने बताया की कालूराम जी हैड साहब कमरे के अन्दर बैठे है, जिन्होने मेरे से मेरे द्वारा दर्ज मुकदमा नं. 598/2022 में कार्यवाही करने की एवज में रिश्वत के 2,000/–रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर बांये हाथ से अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी व हमराहीयान सहित पुलिस थाना कोतवाली पर बने द्वितीय फ्लोर पर बने कमरे के अन्दर पहुंचा, तो एक व्यक्ति मिला परिवादी ने उक्त व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यहीं कालूराम जी हैड साहब है, जिन्होने अभी अभी कुछ देर पहले मेरे से मांग कर 2,000/– रूपये लिये है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देकर यथास्थिति में बैठे रहने की हिदायत कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कालूराम पुत्र श्री कल्लाराम जाति मीना उम्र 42 वर्ष निवासी माणोली, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. नम्बर 10 पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर होना बताया। इस पर आरोपी कालूराम हैड कानि. को परिवादी श्री नरसिम्हा से 2,000/–रूपये किस बात के लिये है बाबत पूछा तो आरोपी चुपचाप खडा रहा कुछ नही बताया पुनः पूंछने पर भी चुपचाप खडा रहा। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री नरसिम्हा ने बताया की हैड साहब ने मेरे से मेरे द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा नं. 598/2022 में कार्यवाही करने की एवज में रिश्वत के 2,000/–रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर बांये हाथ से अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिये है। उक्त कमरे में रखे पानी के कैम्पर से स्वतन्त्र गवाह श्री रंगलाल मीना से एक बोतल में पानी भरवाया जाकर ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर उसमें से तामचीनी का कटोरा निकलवाकर उसको गवाह श्री रंगलाल मीना से साफ पानी से अच्छी तरह से साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से बोतल से साफ पानी तामचीनी के कटोरा में डलवाया गया व ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी का ढक्कन खुलवाकर उसमें से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी कालूराम हैड कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिंट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद गवाह रंगलाल मीना से तामचीनी के कटोरा को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाया जाकर उक्त गवाह से बोतल से केम्पर में से साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बा में से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी कालूराम हैड कानि. के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी कालूराम हैड कानि. की जामा तलाशी गवाह श्री रामसहाय छिनवाल से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी

हुई पेन्ट की बांयी जेब में 500–500 रू. के नोटो की मुडी हुई गड्डी मिली जिसे उक्त गवाह से गिनवाया गया तो 500–500 रू. के 04 नोट कुल 2,000/–रू. होना बताया। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय छिनवाल को दिलवाकर नोटो के नम्बर बुलवाये व स्वतंत्र गवाह श्री रंगलाल मीना से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उपरोक्त 2,000/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया तथा आरोपी कालूराम हैड कानि. की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में 2170/– रूपये पृथक से मिले, जो आरोपीत ने स्वंय के खर्चे के होना बताये, जो आरोपी के पास ही रहने दिये। उक्त कमरे में से आरोपी कालूराम हैड कानि. को एक पेन्ट पहनने को दी गई। आरोपी कालूराम हैड कानि0 से अपनी पहनी हुई पेन्ट पेश की। स्वतंत्र गवाहान श्री रंगलाल मीना के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाकर उक्त गवाह से तामचीनी के कटोरा को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाया जाकर केम्पर में से बोतल से साफ पानी डलवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डिब्बा में से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी कालूराम हैड कानि. की पहनी हुई पेन्ट जिसकी सामने की बांयी जेब में रिश्वत राशि मिली को उलटावकर स्वतंत्र गवाह श्री रंगलाल मीना से धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात आरोपी कालूराम हैड कानि0 की पेन्ट पर पेन से सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर अंकित करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पी" अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं परिवादी नरसिम्हा के द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा नं. 598/2022 की पत्रावली बाबत आरोपित कालूराम हैड कानि. से पूछने पर कमरे में से एक पत्रावली पेश की जिसमें कुल पृष्ठ 01 लगायत 18 तक उपलब्ध है। उक्त पत्रावली पर केस फाईल थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर व अभियोग संख्या 598/2022 धारा 379 आईपीसी तारीख कायमी 12/12/22 घटना दिनांक 6/12/22 घटनास्थल दिशा व दूरी इन्द्रा मार्केट गंगापुर सिटी नाम आई.ओ. श्री कालूराम मीना हैड कानि. नम्बर 10 पीएस जीजीसी अंकित है, की मूल पत्रावली को जप्त करने से परिवादी का कार्य बाधित हो जावेगा। परिवादी का कार्य बाधित नहीं हो इस लिए मुकदमा नं. 598/2022 की पत्रावली में पेज नं. 01 व अन्तिम पेज नं. 18 पर सम्बंधितो के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। श्री करण सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी को तलब कर मुकदमा नं. 598/2022 की पत्रावलियो की फोटो प्रतिया करवाई जाकर प्रमाणित करवाई जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई। मूल पत्रावली श्री करण सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी को सुपुर्द की गई। इसके बाद परिवादी श्री नरसिम्हा को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट कर चैक किया गया तो वक्त रिश्वती लेन देन वार्ता दिनांक 23.12.2022 होना पाई गई जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जावेगी। इसके बाद परिवादी श्री नरसिम्हा एवं आरोपी कालूराम हैड कानि. से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय–05:30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी नरसिम्हा की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर का नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय– 06:00 पी.एम. पर आरोपी कालूराम पुत्र श्री कल्लाराम जाति मीना उम्र 42 वर्ष निवासी माणोली, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. नम्बर 10 पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में

लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर कूलराम पुत्र श्री कल्लाराम जाति मीना उम्र 42 वर्ष निवासी माणोली, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. नम्बर 10 पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक होने से गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी कालूराम हैड कानि. की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह रामसहाय छिनवाल से लिवायी गई तो उसके पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में 2170/– रूपये मिले, जो आरोपी के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी को हस्व कायदा उपरोक्त धारा में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से स्वंय की पत्नि श्रीमति हेमलता मीना को जरिये मोबाईल नम्बर 6376706277 पर दी गई। जामा तलाशी में मिले 2170/– रूपये को अभियुक्त के कहे अनुसार श्री कैलास चन्द कानि0 662 पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी को सुपुर्द की किये गये। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी कालूराम हैड कानि. के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में होने के कारण पुलिस स्टाफ एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो जाने से आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी लेने का कोई औचित्य नही होने से आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी नही ली गई। तत्पश्चात आरोपी कूलराम हैड कानि. का स्वास्थय परीक्षण सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी में करवाया गया। तत्श्चात दिनांक 23.12.2022 समय– 06:40 पी.एम. पर बाद ट्रेप कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मय जप्त एवं बरामदशुदा माल बजह सबूत मय सरकारी, प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी से रवाना होकर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पर समय समय– 08:55 पी.एम. पर पहुंच जप्त/सील शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 2,000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2 एवं पी–1, पी–2 व शील्ड पैकिट मार्क "पी"को श्री जुगलाल कानि. कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया एवं सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखे फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे को श्री रमेश कुमार कानि. से निकलवाकर कार्यालय के मालखाना में रखवाया गया। तत्पश्चात समय **10:00 पी.एम.पर** मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.12.2022 से रिकार्ड है को परिवादी नरसिम्हा एवं स्वतंत्र गवाहान रामसहाय छिनवाल व रंगलाल मीना कनिष्ठ सहायकगण के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.12.2022 को परिवादी नरसिम्हा व आरोपी कालूराम हैड कानि. के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता जो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की है, को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी नरसिम्हा एवं उक्त गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान करवाकर श्री राजवीर सिंह कानि से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ता को एक पेन ड्राईव Sandisk न्यायालय हेतु व दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्तक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव Sandisk व डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 24.12.2022 समय– 01:15 ए.एम. को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता परिवादी नरसिम्हा एवं स्वतंत्र गवाहान रामसहाय छिनवाल व रंगलाल मीना कनिष्ठ सहायकगण के समक्ष रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 23.12.2022 को परिवादी नरसिम्हा व आरोपी कालूराम हैड कानि. के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता जो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की है, को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी नरसिम्हा एवं उक्त गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान करवाकर श्री राजवीर सिंह कानि से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ता को एक पेन ड्राईव Sandisk न्यायालय हेतु व दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्तक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव Sandisk व डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय– 02:30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 42 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द

नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गईं।

समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त कालूराम हैड कानि. नम्बर 10 पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री नरसिम्हा द्वारा पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में अपनी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस नं. RJ 34 SN 9203 की चोरी होने पर प्रकरण संख्या 598/2022 में दर्ज करवाया जाने पर उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की एवज में दो हजार रूपये रिश्वत की मांग करना तथा वक्त सत्यापन दिनांक 23.12.2022 को परिवादी से 2000/- रूपये की मांग पर सहमत होना और उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 23.12.2022 को अभियुक्त कूलराम हैड कानि. नम्बर 10 पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर द्वारा पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में परिवादी श्री नरसिम्हा से 2,000/-रू. मांग के अनुसरण में प्राप्त करते रंगे हाथो पकडा जाना। कालूराम पुत्र श्री कल्लाराम जाति मीना उम्र 42 वर्ष निवासी माणोली, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. नम्बर 10 पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अति0 पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कालूराम हाल हैड कानि0 नं0 10, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 486/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 4136-39 दिनांक 24.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सवाईमाधोपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

24/12/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।